समाहरणालय, बक्सर
(राजस्व शाखा)

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

वित्तीय वर्ष 2016–17 में संभावित बाढ़ की निभिषका से निपटने एवं नाव दुर्घटना आदि की स्थिति में खोल एवं बचाव के लिये महाजाल की आवश्यकता को देखते हुए बक्सर जिला हेतु महाजाल का क्रय हेतु आपूर्तिकर्त्ताओं से निविदा दिनांक–22-08-2016 को 1:30 बजे अपराह्न तक मुहरबन्द लिफाफे में आमंत्रित की जाती है। निविदा जिला राजस्व शाखा, के कार्यालय में प्राप्त की जायेगी प्राप्त निविदा दिनांक–23-08-2016 को 4:00 बजे अपराह्न मे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जिला क्रय समिति के समक्ष खोला जायेगा। निविदा खोलने के समय निविदादाता अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते है। महाजाल की विशिष्टता निम्न प्रकार होगी :–

आपूर्ति की जानेवाली सामग्री का नाम :–

क0	सामग्री का नाम	महाजाल का विवरण	साईज/गुणवता/वजन	महाजाल क्रय की आवश्यकता
1	महाजाल	आकार	लम्बाई 200' चौड़ाई 38'' फन्दा 3''	2 (दो) अदद
		सूता (पारासूट)	50 किलो ग्राम	
		लोहे की गुड़िया	30 किलो ग्राम	
		डोरी (पारासुट) नीचे एवं उपर की	20 किलो ग्राम	
		तुमरी उपर की	50 अदद	
2	,,	आकार	लम्बाई 100' चौड़ाई 35'' फन्दा 3''	2 (दो) अदद
		सूता (पारासूट)	20 किलो ग्राम	
		लोहे की गुड़िया	15 किलो ग्राम	
		डोरी (पारासुट) नीचे एवं उपर की	10 किलो ग्राम	
		तुमरी उपर की	25 अदद	

(उपरोक्त विवरण एक महाजाल के लिये है)

निविदा की आवश्यक शर्तें :–

1. निविदा के रूप में तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा सभी कागजातों के साथ अलग–अलग मुहर बन्द लिफाफा में जमा करना होगा।
2. तमनिकी निविदा में योग्य पाये जाने वाले निविदाओं का हीं वित्तीय निविदा खोला जायेगा।
3. तकनिकी निविदा के साथ वाणिज्यकर विभाग का निबंधन एवं वाणिज्यकर द्वारा निर्गत स्वच्छता प्रमाण–पत्र, आयकर विभाग द्वारा निर्गत पैन कार्ड की छायाप्रति।
4. अग्रधन के रूप में निविदादाता को 5,000.00 (पॉच हजार रूपये की राशि का बैंक ड्रफ्ट) निविदा के साथ जमा करना होगा, जो जिला पदाधिकारी, बक्सर के नाम से होगा।
5. निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त निविदा नहीं लिया जायेगा।

निविदा की अन्य शर्तें :–

6. तीन ईच की दूरी पर फन्दा होना चाहिये।
7. महाजाल की आपूर्ति करने के पहले महाजाल की विशिष्टता की जॉच जिला पदाधिकारी द्वारा गठित तकनिकी जॉच समिति द्वारा की जायेगी। तकनिकी समिति द्वारा विशिष्ट के अनुरूप पाये जाने महाजाल की आपूर्ति करनी होगी।
8. वित्तीय निविदा के लिफाफे में प्रति महाजाल का दर सभी कर सहित अंकित करना होगा।
9. न्यूनतम दर वाले सफल निविदादाता द्वारा कार्यादेश के उपरांत 15 दिनों के अन्दर महाजाल की आपूर्ति करनी होगी।

10. निविदा की शर्तो के अनुरूप महाजाल की आपूर्ति नहीं करने पर भुगतान नही किया जायेगा और कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।
11. निविदा में अंकित मूल्य पर जिले में किसी भी स्थान पर महाजाल की आपूर्ति करना होगा। इसके लिये अलग से परिवहन व्यय देय नहीं होगा।
12. निविदादाता को कार्यादेश के पूर्व उपर्युक्त शर्तो के अनुसार तीन दिनों के अन्दर एकरारनामा करना होगा।
13. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये किसी भी निविदा को अस्वीकृत या स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

8.8.16

जिला पदाधिकारी
बक्सर

Arun-03.08.16